क्रम संख्या–55 पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 13 अप्रैल, 2018 ई0

चैत्र 23, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 193 / XXXVI(3) / 2018 / 27(1) / 2018

देहरादून, 13 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ विधेयक, 2018'** पर दिनांक 12 अप्रैल, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्याः 17 वर्ष, 2018 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम, 2018

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 17, वर्ष 2018)

राज्याधीन सेवाओं के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों की सेवावधि के उपरान्त सेवानिवृत्ति लाभ दिये जाने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा अधिनियमित:

भाग–एक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ तथा लागू होना

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम, 2018 है।

(2) यह अधिनियम दिनांक 01, अक्टूबर, 2005 से पूर्व राज्याधीन सेवाओं के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों पर उनके अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एवं अनिवार्य सेवानिवृत्ति की दशा में लागू होगा तथा कार्मिक की मृत्यु की दशा में ऐसे कार्मिक के आश्रितों पर लागू होगा;

परन्तु यह कि दिनांक 01.10.2005 से मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिक नई अंशदान पेंशन योजना से शासित होंगे;

परन्तु यह और कि ऐसे कार्मिक की सेवा जो–

(क) पूर्णकालिक नियोजन की न हो;

(ख) संविदा, कार्य–प्रभारित, अंशकालिक, दैनिक वेतन, तदर्थ व नियत वेतन में की गई सेवा;

(ग) अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् सेवाविस्तार/पुनर्नियोजित/सत्रान्त लाभ के रूप में की गई सेवा;

(घ) एक सेवा से दूसरी सेवा के मध्य सेवा व्यवधान।

(ड़) एक पद से दूसरे पद पर हुये स्थानान्तरण के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण काल/बाध्य प्रतीक्षा काल के अतिरिक्त गैर अनुमन्य अनुपस्थिति की अवधि;

(च) बिना स्वीकृत उपभोग किये गये अवकाश अवधि;

Scanned with OKEN Scanner

(छ) सेवा में किसी भी प्रकार की ऐसी अनुपस्थिति जिसकी स्वीकृति हेतु अवकाश शेष न हो;

उपरोक्त खण्ड (क) से (छ) तक उल्लिखित सेवाओं के लिये पेंशन अनुमन्य नहीं होगी।

अध्यारोही प्रभाव 2 यह अधिनियम इससे पूर्व बनाई गई किसी विधि में किसी अन्य बात के होते हुए भी प्रभावी होगा।

परिभाषाएं 3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में:–

(क)'संविधान' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है;

(ख)'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(ग)'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(घ)'पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी' से समय–समय पर सरकार द्वारा इस रूप में अधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है;

(ड.)'पेंशन' में उपदान सम्मिलित है, सिवाय उस स्थिति में जब मात्र सेवा उपदान देय हो, वह पेंशन का भाग नहीं होगा।

(च.)'परिलब्धि' से ऐसा वेतन अभिप्रेत है, जो वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–दो, भाग–दो से चार में परिभाषित है।

(छ.)'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति है जो संविदा, कार्य–प्रभारित, अंशकालिक, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ व नियत वेतन में नियुक्त न हो, और जिसका चयन सेवा संबंधित सेवानियमों के अनुसार किया गया हो, अभिप्रेत है;

(ज.)'स्थायी एवं अस्थायी सेवा' से ऐसी सेवा अभिप्रेत है, जो राजकीय विभाग में स्थाई व अस्थाई पद

पर मौलिक रूप से नियुक्ति के पश्चात् की गई हो;

(झ.)'सरकारी सेवक' से ऐसे सरकारी सेवक (चाहे वह किसी श्रेणी के हों) अभिप्रेत है, जो सरकार के अधीन पेंशन अर्हता पद पर मौलिक रूप से नियुक्त हो।

(ञ)'अर्हकारी सेवा' से ऐसी सेवा अभिप्रेत है, जो राज्याधीन सेवाओं के अधीन मौलिक/नियमित रूप से की गई की सेवावधि है।

(ट)'सेवानिवृत्ति' से अधिवर्षिता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्त पर सरकारी सेवा से पदमुक्त अभिप्रेत है;

(ठ) 'विहित' से नियमों में विहित अभिप्रेत है।

भाग–दो

पेंशन

पेंशन हेतु अर्हता

4. पेंशन के लिये सेवा निम्न शर्तों के अधीन अर्हकारी होगी–

(क) सेवा राज्य सरकार के अधीन मौलिक तथा नियमित रूप से की गई हो।

(ख) सेवा को सेवानिवृत्तिक लाभों हेतु तब अर्हकारी सेवा समझा जायेगा जब सम्बन्धित कार्मिक किसी अधिष्ठान में स्थायी/अस्थायी रूप से सृजित किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त हो।

पेंशन की धनराशि

5. पेंशन की धनराशि सेवा के अन्तिम दिवस को आहरित मूल वेतन अथवा सेवानिवृत्ति तिथि से पूर्व के 10 माह की औसत वेतन, जो भी कार्मिक हेतु लाभकारी हो, के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगी,

परन्तु उक्त राशि किसी भी दशा में राज्य सरकार द्वारा विहित न्यूनतम पेंशन की धनराशि से कम नहीं होगी और विहित अधिकतम पेंशन की धनराशि से अधिक नहीं होगी।

Scanned with OKEN Scanner

पेंशन अनुमन्यता हेतु सेवा अवधि का निर्धारण

6. (क) 10 वर्ष से न्यून अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन अनुमन्य नहीं होगी। (छः माह और छः माह से अधिक अवधि का एक वर्ष माना जायेगा तथा छः माह से कम की अवधि को गणना में नहीं लिया जायेगा।)

(ख) 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन अनुमन्य होगी।

(ग) यदि अर्हकारी सेवा 10 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम हो तो, पेंशन की राशि आनुपातिक रूप से कम हो जायेगी;

परन्तु उक्त राशि किसी भी दशा में राज्य सरकार द्वारा विहित न्यूनतम पेंशन की धनराशि से कम नहीं होगी।

भाग–तीन

सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान

सेवानिवृत्ति उपदान/मृत्यु उपदान

7. (1) सेवानिवृत्ति उपदान की दर अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये मासिक परिलब्धियों के आधे के बराबर होगी जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित मासिक परिलब्धियों के तैंतीस गुने के बराबर अथवा राज्य सरकार द्वारा नियत अधिकतम सीमा तक जो भी कम हों, से अधिक नहीं होगी।

(2) मौलिक रूप से नियुक्त किसी सरकारी सेवक की मृत्यु होने पर मृत्यु उपादान की राशि निम्नवत होगी:–

अर्हकारी सेवा की अवधि	मृत्यु उपदान की राशि
01 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 02 गुना
01 वर्ष से अधिक किन्तु 05 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 06 गुना

Scanned with OKEN Scanner

05 वर्ष या अधिक किन्तु 11 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 12 गुना
11 वर्ष या अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 20 गुना
20 वर्ष या उससे अधिक	अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये परिलब्धियों के आधे के बराबर होगी जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित परिलब्धियों के तैंतीस गुने के बराबर अथवा राज्य सरकार द्वारा नियत अधिकतम सीमा तक, जो कम हों, से अधिक नहीं होगी।

भाग–चार

पारिवारिक पेंशन

पारिवारिक पेंशन

8. (1) पारिवारिक पेंशन की गणना अन्तिम आहरित मासिक वेतन के 30 प्रतिशत की दर साधारणतया की जायेगी;

परन्तु यह कि पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम एवं अधिकतम धनराशि राज्य सरकार द्वारा नियत की गई धनराशि से अधिक न हो।

(2) सरकारी सेवक/पेंशनर की मृत्यु की दशा में परिवार को मृत्यु की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक अथवा दिवंगत सरकारी सेवक/पेंशनर की आयु 67 वर्ष होने, जो भी पहले हो, तक बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी।

पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु पात्रता

9. पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु "परिवार" के निम्न सदस्य पात्र होगें:–

(1) पत्नी/पति।

(2) मृत्यु के दिन 25 वर्ष की आयु से कम के पुत्र को

Scanned with OKEN Scanner

इस प्रतिबन्ध के साथ कि वह जीविकोपार्जन करने लगे तो जीविकोपार्जन की तिथि अथवा 25 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।

(3) मृत्यु के दिन 25 वर्ष की आयु से कम की अविवाहित पुत्री को इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि वह जीविकोपार्जन करने लगे या उसका विवाह हो जाये अथवा 25 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो। उपधारा (2) एवं (3) में उल्लिखित सन्तानों में सौतेली तथा सेवानिवृत्ति के पूर्व विधिवत गोद ली गई सन्तानें भी सम्मिलित हैं।

(4) दिव्यांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त सन्तानों पर आयु का बन्धन नहीं होगा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन पारिवारिक पेंशन पाने के पात्र होंगे। विधवा एवं तलाकशुदा पुत्री को भी परिवार में सम्मिलित माना जायेगा। यदि मृत सरकारी सेवक के परिवार में उसकी पत्नी/पति तथा उपर्युक्त वर्णित श्रेणी की पात्र सन्तान नहीं है, तो उसके माता/पिता जो उस पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, को उसके परिवार में सम्मिलित समझा जायेगा।

(5) राजकीय कर्मचारियों/पेंशन भोगियों की अविवाहित पुत्रियों को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद भी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र बनाये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तें होंगी–

(क) अविवाहित पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति उनकी जन्म तिथि के क्रमानुसार दी जायेगी और उनमें से छोटी पुत्री तब तक पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं होगी जब तक कि उससे अगली बड़ी पुत्री पारिवारिक पेंशन के लिए अपात्र नहीं ठहराई जाती ।

Scanned with OKEN Scanner

(ख) 25 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित पुत्रियॉ केवल तभी पारिवारिक पेंशन की पात्र होंगी, जब कि 25 वर्ष से कम आयु के अन्य पात्र बच्चे, पारिवारिक पेंशन ग्रहण करने के लिये पात्र नहीं रहें हों और यह कि परिवार में पारिवारिक पेंशन ग्रहण करने के लिए कोई निशक्त संतान नहीं है।

पेंशन के एक भाग का राशिकरण

10. (क) कुल आगणित पेंशन का अधिकतम 40 प्रतिशत की धनराशि का राशिकरण राज्य सरकार द्वारा नियत सूत्र के अनुसार अनुमन्य होगा। पेंशनर को यह सुविधा उसकी सहमति के आधार पर देय होगी।

(ख) राशिकृत भाग का पुनर्स्थापन पी0पी0ओ0 निर्गत होने के तीन माह बाद अथवा भुगतान की तिथि, जो भी पहले हो, से 15 वर्ष की अवधि पूर्ण होने की तिथि के ठीक अगली तिथि से होगा।

पेंशन में वृद्धि

11. 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के राजकीय पेंशनर्स /पारिवारिक पेंशनर्स को अनुमन्य पेंशन पर निम्नानुसार अतिरिक्त पेंशन अनुमन्य होगी:–

पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की आयु	पेंशन में वृद्धि
80 वर्ष से अधिक किन्तु 85 वर्ष से अनधिक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत
85 वर्ष से अधिक किन्तु 90 वर्ष से अनधिक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत
90 वर्ष से अधिक किन्तु 95 वर्ष से अनधिक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत
95 वर्ष से अधिक किन्तु 100 वर्ष से अनधिक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत

Scanned with OKEN Scanner

		100 वर्ष या उससे अधिक	मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन का शत–प्रतिशत

भाग–पांच

प्रकीर्ण

प्रकीर्ण	12	(1)	सेवा निवृत्त होने वाले ऐसे राज्य कर्मचारियों को जिनके विरूद्ध सेवानिवृत्ति के समय विभागीय, न्यायिक कार्यवाही अथवा प्रशासनाधिकरण में जांच चल रही हो अथवा किया जाना अपेक्षित हो में अनन्तिम पेंशन एवं उपादान ऐसे अनुमन्य होगी जैसे विहित की जाय।
		(2)	सेवा से पदच्युत व्यक्ति को पेंशन, पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं होगी।
नियम बनाने की शक्ति	13	(1)	इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार नियम बना सकेगी।
		(2)	इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम विधान मण्डल के समक्ष रखे जायेंगे।

आज्ञा से,

मीना तिवारी,
प्रमुख सचिव।

No. 193/XXXVI(3)/2018/27(1)/2018
Dated Dehradun, April 13, 2018

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Retirement Benefits Act, 2018'** (Adhiniyam Sankhya **17** of **2018**).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 12 April, 2018.

Scanned with OKEN Scanner